केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
,18 संस्थागत क्षेत्रशहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area,SaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi110016-
फोन न./Phone no.26858570
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केंद्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद की भर्ती

केंद्रीय विद्यालय संगठन,जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है, के द्वारा नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय) कार्यालय में पे लेवल-12 (रु. 78,800/-- रु. 2,09,200/-)तथा केविसं नियमों के अनुसार लागू अन्य भत्ते पर उपायुक्त के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का विवरण इस प्रकार हैं :-

पद	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल	ओएच	वी एच	एच एच
उपायुक्त (ग्रुप-ए)	05	-	02	01	-	08	-	-	01

अनिवार्य योग्यताएं :

I. कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री
II. बी.एड.या समकक्ष डिग्री
III. सहायक आयुक्त के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा

अथवा

सहायक आयुक्त और प्राचार्य के रूप में 08 वर्ष (जिसमें सहायक आयुक्त के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव हो) चूंकि दोनों अर्थात प्रिंसिपल और सहायक आयुक्त के पद के लिए वेतनमान एक ही बैंड अर्थात रु. 15,600- रु. 39,100 ग्रेड पे रु.7600 पूर्व संशोधित 7वें वेतनमान के अनुसार लेवल-12 में रु. 78,800 से रु. 2,09,200 है।

वांछनीय : हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान।

शिक्षकों और प्रशासकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्देशित करने का अनुभव अथवा शिक्षा में अनुसंधान।

आयु-सीमा: 50 वर्ष (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर आयु सीमा लागू नहीं है। ओबीसी/एससी/एसटी/ पूर्व-सैनिकों को भारत सरकार के नियमों के तहत आयु में छूट लागू होंगी।

1. आवेदनों की जांच की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच करें।यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो उनके द्वारा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इस संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा।

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. चयनित अधिकारी को में केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय अथवा पूरे भारत मेंस्थित विभन्न क्षेत्रीय कार्यालयों आंचलिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात किया जाएगा।

4. योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में उचित माध्यम से अपने आवेदन पत्र जमा करने चाहिए।आवेदन के साथ **'केन्द्रीय विद्यालय संगठन', नई दिल्ली** के पक्षमें देयरु 1500/- (केवल पंद्रह सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,दिव्यांग,पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं)आवेदन पत्र 08 फरवरी, 2021तक **संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या.), 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016**तकपहुँच जाना चाहिए। अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त(प्रशासन)

प्रपत्र

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद पर भर्ती के लिए आवेदन

पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ यहां चिपकाए

01. नाम(स्पष्ट अक्षरों में) :

02. जन्म तिथि :

03. श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/पीएच/पूर्व सैनिक):

04. पत्रव्यवहार/डाक पता (स्पष्ट अक्षरों में) :

05. ई-मेल :

06. अभ्यर्थी का मोबाइल नं :

07. कार्यालय टेलीफोन नं :

08. **शैक्षिक योग्यता (+2 से शुरू करते हुए) :**

क्र.सं.	उत्तीर्णपरीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय

09. **कालानुक्रमिक क्रम में अनुभव/ रोजगार का विवरण (वर्तमान से शुरू करते हुए)**

क्र. सं.	कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल और बेसिक पे	शिक्षकों और प्रशासकों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्देशित करने **का** अनुभवऔर या / शिक्षा में अनुसंधान	कार्य की प्रकृति

10. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या स्थायी :

11. क्या वर्तमान पद काडर पद है या बाह्य काडर पद है :

12. क्या वर्तमान रोजगार केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / अर्ध सरकारी / केंद्र अथवा राज्य के स्वायत्त संगठन के अधीन है :

13. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर किया जा रहा हो तो निम्न का उल्लेख करें :

(अ) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :

(ब) प्रतिनियुक्ति /संविदा पर नियुक्ति की अवधि :

(ख) अभ्यर्थी के मूल संगठन/कार्यालय का नाम :

14. भाग लिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विवरण :

15. यदि अभ्यर्थी संशोधित वेतनमान आहरित कर रहा है तो
वह तिथि जिससे वेतन संशोधित किया गया और पूर्व संशोधित-वेतनमान :

16. पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता संबंधी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,
(150 शब्दों से अधिक नहीं) :

17. डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा : डी.डी. नं.-------- दिनांक ....
बैंक एवं शाखा ...

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए और उपलब्ध करवाए गए सभी कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं।किसी भी सामग्री जानकारी या उसके किसी भी भाग को गलत,बदलाव या मनगढ़ंत या छुपाए जाने की स्थिति मेंमेरी उम्मीदवारी स्वत: रद्द हो जाएगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : ....
स्थान : ....

संलग्नक :

1. डिमांड ड्राफ्ट।
2. शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ।
3. अनुभव और प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ।

<u>**प्रमाण-पत्र**</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... के संबंध में उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए और सही पाए गए। अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक /सतर्कता संबंधी मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

दिनांक : ....
स्थान : ....

कार्यालय प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

1. केविसं में उपायुक्त के लिए भर्ती नियमों की पात्रता संबंधी शर्तों के अनुसार अपेक्षित पे लेवलों में मूल पद में नियमित सेवा देने वाले अधिकारी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।एसीपी/एमएसीपी / तदर्थ आधार के तहत अपेक्षित पे लेवल के अधिकारी पात्र नहीं हैं।
2. इस विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले और और आधे-अधूरे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
3. उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव से संबंधित सभी आवश्यकताओं को आवेदन की अंतिम तिथि को पूरा करना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज़ झूठा, छेड़छाड़ किया या गढ़ा हुआ न हो और न ही किसी विशेष महत्वपूर्ण सामग्री को छुपाया या दबाया न गया हो ।
5. उम्मीदवार की पात्रता, भर्ती से संबंधित साक्षात्कार, चयन, पात्रता की जाँच और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी सभी मामलों में केविसं का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
6. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों को लाना आवश्यक है।इन दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय सत्यापित किया जाएगा।यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. किसी भी रूप में सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा।
8. यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों/अनुवाद में व्याख्या पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
9. केविसं को अपने विवेक पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से पूरी तरह से भर्ती को रद्द करने का / अधिकार है, जो उम्मीदवार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
10. इस भर्ती के संबंध मे कोई भी विवाद केवल दिल्ली अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के अधीन होगा।

*****